न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2014 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— शिशुपालसिंह पुत्र श्री विजयसिंह उर्फ बिरजुसिंह जाति राजपूत निवासी थेड़ी गंगानी तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

स्टेट ऑफ राजस्थान।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री ज्ञानसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री कमलजीतसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 19.03.2013, जिसमें अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 26/1984 डीएम, श्रीगंगानगर ओएस नं. 312/2000 डीएम हनुमानगढ को निलम्बित किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 26/1984 डीएम, श्रीगंगानगर ओएस नं. 312/2000 डीएम हनुमानगढ बना है, जिस पर 12 बोर गन नं. 4083 दर्ज है। उक्त शस्त्र लाईसेंस जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2010 से निलम्बित किया जाकर लाईसेंस पर दर्ज शस्त्र को पुलिस थाना में जमा करवाया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय में एक अपील सं. 42/2010 अनवानी शिशुपालसिंह बनाम स्टेट प्रस्तुत की गई, जिसका निर्णय दिनांक 02.08.2010 में जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2010 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई की गई तथा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से अपीलांट को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

चाल–चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने पुनः प्रकरण में जांच कर रिपोर्ट दिनांक 20.3.2012 में अपीलांट के विरूद्ध एक फौजदारी मुकदमा संख्या 745/2008 को न्यायालय में जेरकार होना बताया। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को आधार मानते हुए अपने पूर्व में प्रसारित आदेश दिनांक 29.04.2010 को यथावत रखते हुए दिनांक 19.03.2013 को अपीलांट का लाईसेंस निलम्बित रखे जाने का आदेश दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री ज्ञानसिंह का मुख्य कथन है कि प्रकरण में श्रीमान् जी के न्यायालय में जेरकार अपील सं. 42/2010 अनवानी शिशुपालसिंह बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2010 को आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.04.2010 निरस्त कर अपीलांट के चरित्र/चाल–चलन एवं कार्य प्रवृति के सम्बन्ध में जांच करवा कर अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये थे, जिसकी अधिनस्थ न्यायालय ने पालना नहीं की है। अपीलांट शांति प्रिय व कानून का सम्मान करने वाला नागरिक है तथा अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों से भलीभांति परिचित है। अपीलांट पर शस्त्र का दुरूपयोग करने का कोई आरोप नहीं है। जिस फौजदारी मुकदमें को अधिनस्थ न्यायालय ने आधार बनाया है, उस घटना के समय अपीलांट का शस्त्र पुलिस थाना हनुमानगढ टाऊन में जमा था, इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में उक्त मुकदमें के आधार पर अपीलांट की मनोवृति आपराधिक होना व लाईसेंसी द्वारा हथियार का दुरूपयोगे किये जाने की संभावना व्यक्त करना अव्यवहारिक प्रतीत होती है। इसी आधार पर निर्देशों के साथ मामला रिमाण्ड किया गया था, रिमाण्ड आदेश की अधीनस्थ न्यायालय ने पालना नहीं की है, बल्कि मनमाने तरीके से आदेश जेर अपील करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता के कारण उक्त मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अपीलांट के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का आरोप नहीं है। जिस समय एफ.आई.आर. दर्ज की गई है उस समय अपीलांट के पास शस्त्र था ही नहीं, क्योंकि उस समय विधानसभा चुनाव 2008 के दौरान दिनांक 8.11.08 व 2.2.09 तक शस्त्र पुलिस थाना हनुमानगढ में जमा था। इस तथ्य को गलत आधार बना कर अधिनस्थ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय ने अपीलांट का शस्त्र लाईसेंस निलम्बित किये जाने का आदेश बहाल रखा है, जबकि थाना पुलिस हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 25.9.12 व सरपंच, ग्राम पंचायत रामसरा नारायण का चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 20.8.12 पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पुनः अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर अपने पूर्व आदेश को यथावत रखा है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील बिना माईण्ड एप्लाई किये, प्रिज्यूडिश होकर मनमाने तरीके से पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड प्रकरण में अपीलांट ने अपना जवाब दिनांक 21.5.12 को प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि अब पुलिस जांच मंगवाई जायेगी, उसके बाद अपीलांट को पुनः नोटिस दिया जायेगा, लेकिन अपीलांट को आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, ना ही आदेश जेर अपील की कोई सूचना विधिवत् अपीलांट को दी गई। अपीलाधीन पूर्ण रूप से एकतरफा तौर पर जारी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की पुनः प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.3.2012 में दर्ज आपराधिक प्रकरण को आधार माना है, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की गंभीरतम धाराओं में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड प्रकरण में अपीलांट को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय में विचाराधीन अपील सं. 42/2010 अनवानी शिशुपालसिंह बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2010 में निर्देशित किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई की गई, जिसमें अपीलांट ने स्वंय जवाब भी प्रस्तुत किया है, जिससे ये साबित है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीक्षक, हनुमानगढ से पुनः जांच कर रिपोर्ट ली है, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की गंभीर धाराओं में फौजदारी प्रकरण सं. 745/2008 न्यायालय में विचाराधीन होने का कथन करते हुए लाईसेंस नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की है। अपीलांट ने वरवक्त बहस अन्य कोई साक्ष्य–सबूत हमारे समक्ष पेश नहीं किये हैं, जिस पर पुनर्विचार किया जा सके। अपीलान्ट के विरुध्द आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत फौजदारी प्रकरण दर्ज है । ऐसे व्यक्ति के पास हथियार रहने से लोक शांति व कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपीलाधीन आदेश द्वारा निलम्बित रखा गया है, निलम्बन काल में शस्त्र पुलिस थाना में जमा रहेगा। अपीलांट के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहते शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किया उचित नहीं है ।

7. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार हम अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2013 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2013 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर